न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 31 / 2022

1 प्रेम देवी पत्नी भागीरथमल जाति माली निवासी मोती सिंह की ढ़ाणी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 अंशु पुत्री भागीरथमल।
3 एकता पुत्री भागीरथमल।
4 कल्पना पुत्री भागीरथमल समस्त नाबालिग जाति माली निवासीगण मोती सिंह की ढ़ाणी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू जरिये कुदरती संरक्षिका माता प्रेम देवी।

अपीलांट

बनाम

1 सन्तरा देवी पत्नी सुन्दरलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 24 मुनी आश्रम के पीछे झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 फूलचन्द पुत्र भंवरलाल।
3 शंकरलाल पुत्र भंवरलाल।
4 विमला देवी पुत्री भंवरलाल।
5 संतोष देवी पत्नी भंवरलाल।
6 अजीत प्रसाद पुत्र भावाराम।
7 शांति देवी पत्नी सांवरमल।
8 राजकुमार पुत्र सांवरमल।
9 इन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल समस्त जाति माली निवासीगण मोती सिंह की ढ़ाणी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
10 जिम्मी मोदी पुत्र सुमन कुमार मोदी जाति महाजन निवासी इन्दिरा नगर झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

11 मनोहरलाल कुमावत पुत्र बिड़दीचन्द कुमावत जाति कुमावत निवासी शिव कॉलोनी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
12 आशीष पुत्र जयदेव सिंह।
13 आदित्य पुत्र जयदेव सिंह।
14 अजय पुत्र जयदेव सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण बुडाना तहसील व जिला झुंझुनू।
15 रघुवीर सिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जाट निवासी ढढ़ारिया तहसीलल चिड़ावा जिला झुंझुनू।
16 संतोष देवी पत्नी रामावतार।
17 सरोज देवी पत्नी सीताराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण चारणवास उर्फ सुल्तानसर तहसील व जिला झुंझुनू।
18 राजकुमार पुत्र हरिराम जाति माली निवासी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
19 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा झुंझुनू जरिये प्रबन्धक महोदय।
20 सब रजिस्ट्रार उप पंजियक कार्यालय झुंझुनू।
21 लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2021
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उनवानी मुकदमा संतरा देवी
बनाम फूलचन्द वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा
रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 184/14
पीठासीन अधिकारी श्री शैलेष खैरवा आर.ए.एस.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अशोक शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सन्दीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30/01/2023

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 184/2014 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 संतरा देवी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 20 को प्रतिवादीगण बनाकर एक दावा इस आशय का पेश किया कि कस्बा झुंझुनू की सरहद में वादिया एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि स्थित है, जिसके हाल खसरा नम्बर 2154 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2155 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2156 रकबा 1.54 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.09 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में खातेदार भावाराम के नाम दर्ज थी। भावाराम फौत हो चुके है तथा कालान्तर में उक्त भूमि उनके वारिसान अजीत प्रसाद, भंवरलाल, सांवरमल, बजरंग को विरासतन प्राप्त हुई। कालान्तर में भंवरलाल के फौत होने पर उनके वारिसान संतोष, शंकरलाल, गोपीराम, मूलचन्द, भागीरथ, विमला में से गोपीराम ने उसे प्राप्त 1/24 हिस्से (0.17 हैक्टेयर) भूमि का बेचान ओमप्रकाश पुत्र हनुमान को कर दिया तथा 1 माह बाद ही ओमप्रकाश पुत्र हनुमान ने गोपीराम से खरीदी गई भूमि को संतरा देवी वादिया को कर दिया। कालान्तर में भंवरलाल के पुत्र भागीरथ ने भी अपने हिस्से की 1/24 में से 0.9 हैक्टेयर भूमि का बेचान वादिया संतरा देवी को कर दिया व कालान्तर में उक्त हिस्से में से 400 वर्ग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

गज का भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 10 मनोहरलाल व 400 वर्गगज भूखण्ड का विक्रय प्रतिवादी संख्या 9 जिम्मी मोदी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया और तभी से सबउक्त भूखण्डों पर कब्जा काश्त चले आ रहे है। राजस्व कर्मियों की लापरवाही की वजह से प्रतिवादी संख्या 9 व प्रतिवादी संख्या 10 की भूमि के राजस्व रिकार्ड का इन्द्राज जमाबंदी में दर्ज नहीं किया गया। जिसकी वजह से यह दावा पेश किया गया । भागीरथमल पुत्र भंवरलाल को दिनांक 31.07.2014 को मृत्यु हो गई। अगर वादपत्र में वर्णित जमीन के सहखातेदार उक्त भूमि का इन्द्राजात अपने नाम करवाकर बेचान कर देते हैं तो वादिया के अधिकारों का हनन होगा। वर्तमान खातेदार भागीरथ की मृत्यु होने के बाद उसके भाई व माता प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 हैं जो भागीरथ के हिस्से की भूमि को अपने नाम नामान्तरित करवाकर भूमाफियाओं को विक्रय कर देने की धमकियां देते है। इसलिए उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। दिनांक 21.02.2018 को अधिवक्ता वादी द्वारा अन्य विचारणीय दावा प्रेम देवी बनाम भागीरथ वगैरह के साथ वर्तमान दावा कन्सोलिडेड करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 4.10.2019 को अधिवक्ता वादी ने वर्तमान अपीलांट्स को आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 21.01.2020 को वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर वर्तमान अपीलांट्स को प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 24 के रूप में संयोजित करने का आदेश देते हुए संशोधित टाईटल पेश करने व तलबी जारी करने के आदेश किये गये। दिनांक 16.03.2020 को वर्तमान अपीलांट्स प्रतिवादीगण 21 लगायत 24 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम सामरिया द्वारा हिदायत पैरवी का कथन करते हुए उपस्थिति दर्ज करवाई गई। दिनांक 10.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 24 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नहीं करने व इनकी तरफ से कोई असालातन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं होने का कथन करते हुए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। कालान्तर में बाकी प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
एदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

तथा वादिया कि ओर से स्वंय का शपथ पत्र बयान खास प्रस्तुत कर पत्रावली वास्ते बहस नियत करवाई गई तथा दिनांक 17.12.2021 को वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावे में भागीरथ को फौत अंकित किया गया है किन्तु भागीरथ की पत्नी एवं अन्य वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। विचाराधीन वाद दिनांक 21.11.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया था। विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई इस वाद को पुन नम्बर पर ले लिया। वादी ने विचारण न्यायालय में दिनांक 04.10.219 को आदेश 1 नियम 10 के आवेदन के साथ अपीलांट को दुरभावना-पूर्वक पक्षकार बनाया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही हुआ है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने किसी भी अधिवक्ता को हिदायत पैरवी के निर्देश नही दिये गये थे। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावा संख्या 35/2014 अपीलांट द्वारा अपने पति के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 29.03.2019 को विड्रा किया जा चुका है। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी रेस्पोडेंट सन्तरा देवी विवादित भूमि में 0.09 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.07.2009 के आधार पर खातेदारी घोषित करने का अनुतोष लेकर आई थी। वर्तमान अपीलांट द्वारा वादी रेस्पोडेंट संतरा देवी पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की गई है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के सन्दर्भ में वादी रेस्पोडेंट के वाद के पूर्व से विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा था। विचारण न्यायालय द्वारा दोनों वादो को समेकित कर दिनांक 21.2.2018 को एक साथ किया गया था। अपीलांट

को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय ने पंजिकृत विकय पत्र के आधार पर वाद वादी स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के सन्दर्भ में दो वाद लम्बित थे प्रथम वाद वर्तमान अपीलांट प्रेम देवी द्वारा वाद संख्या 35/2014 दिनांक 02.05.2014 को प्रस्तुत किया गया था। द्वितीय वाद वादी संतरा देवी द्वारा पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 28.07.2008, 26.03.2008 के आधार पर खातेदारी घोषित करने का वाद संख्या 184/2014 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2018 को उक्त दोनों वादो को समेकित किया गया है। वर्तमान अपीलांट प्रेम देवी द्वारा अपने वाद संख्या 35/2014 को दिनांक 29.03.2019 को विड्रा किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नही है कि उन्हे विचाराधीन वाद की जानकारी नही हो अथवा विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हो। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पंजिकृत विकय पत्र के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इन पंजिकृत विकय पत्रों को वर्तमान अपीलांट द्वारा सक्षम स्तर पर कोई चुनौती देकर निरस्त करवाने की कार्यवाही नही की गई है। पंजिकृत विकय पत्रों को सक्षम स्तर से निरस्त करवाये बिना अपीलांट राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारम सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर